ता0 63/18 तारीखरजू:– 11-10-18

उनवान:– श्रीमन बनाम गौरया वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

-18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 19.12.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 328/0.13, 329/0.10, 330/0.15, 341/0.19, 362/0.18, 557/0.16, 558/0.20, 2462/0.45, 2462/2813/0.43, 2462/2814/0.43, 2580/0.14, कुल किता 11 रकवा 2.56 है0 का 1/2, 340/0.16, 363/0.19, 524/0.14, 567/0.03, 568/0.11, 569/0.15, 570/0.15, 571/0.26, 572/0.37, 2042/0.37, 2210/0.28, 2210/2812/0.21, 2211/0.17, 2396/0.40, कुल किता 14 रकवा 2.99 है0 का 1/2 ग्राम मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी को उक्त आराजी मे रिकार्ड व मौके की यथा यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2018 को पेश हो।

3881-82
11-10-18

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

19.12.18 प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने उपस्थिति दर्ज कराई। अप्रार्थी नं. 2 उपस्थित नही। P.O. SDO अवकाश पर है आईन्दा दि0 17-1-19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

18.6.19 वकुलाय उप. / अप्रार्थी नं. 1 ने मूलदावा में वकालतनामा व जवाब पेश किया व इस प्रा० पत्र मे जवाब पेश नहीं करने का कथन किया। आईन्दा दि० 28-6-19 को पेश हो।

28-6-19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर/फरार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 8-7-19 को पेश हो।

8.7.19

वकुलाय उप० / इससे संबंधित मूलदावा वादी वकील ने Not Press में खारिज करा लिया है। अतः इस प्रकरण को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली में शामिल रहे।

Scanned by CamScanner